न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–09/2017

कृष्ण कुमार पुत्र श्री सीताराम जाति बिश्नोई उम्र 67 वर्ष निवासी 3 एम.डी. पोस्ट ऑफिस 9 एमडी सतराना वाया घडसाना तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

––– **प्रार्थी**

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, राजस्व एवं भू.अ., अनूपगढ़।

––– **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

::निर्णय:: **दिनांक:–12.01.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कृष्ण कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश कर अभिकथन किया कि प्रार्थी के पिता श्री सीताराम पुत्र रतीराम के नाम से वाके चक 3 एम डी तहसील अनूपगढ़ का पं. नं. 141/29, मुं. नं. 24 का किला नं. 1 ता 5, 9 ता 10 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर कुल 1.771 हैक्टर कमांड खातेदारी कृषि भूमि थी एवं संतोष देवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति अग्रवाल साकिन हनुमानगढ़ के नाम से वाके चक 3 एम डी तहसील अनूपगढ़ का प. न. 141/29 मुरब्बा नं. 24 का किला नं. 6 में 0.240 हैक्टर, 7, 8, 11 ता 14 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर, 15 में 0.227 हैक्टर, 16 में 0.228 हैक्टर, 17 ता 20 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.215 हैक्टर कुल 4.300 हैक्टर कमांड खातेदारी कृषि भूमि थी । प्रार्थी के पिता सीता राम ने उक्त संतोष देवी के साथ 0.037 हैक्टर कृषि भूमि को आपस में विनियम किया था। इस विनिमय के तहत संतोष देवी ने अपनी उक्त कृषि भूमि वाके चक 3 एम डी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर. नं. 141/29, मुरब्बा नं. 24 का किला नं. 11 में 0.012 हैक्टर, 20 में 0.012 हैक्टर, 21 में 0.013 हैक्टर कुल 0.037 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी के पिता को दे दी थी तथा प्रार्थी के पिता ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि चक 3 एम डी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर न 141/29, मुरब्बा नं. 24 का किला नं. 9 की 0.037 हैक्टर कृषि भूमि दे दी थी। जिसका विनिमय नामान्तरण संख्या 172 दिनांक 14/12/2010 को स्वीकृत हुआ और उक्त नामान्तरण का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 मे हो चुका है। प्रार्थी के पिता श्री सीताराम का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके स्वर्गवास के उपरांत प्रार्थी के पिता की चक 3 एम डी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं. 141/29, मुरब्बा न 24 का किला न 4, 5, 9, 10 विरास्तन व विभाजन में प्रार्थी को प्राप्त हुई है। आपसी विनिमय मे प्रार्थी के पिता से उक्त संतोष देवी पत्नी सुभाषचन्द्र को चक 3 एम डी तहसील अनूपगढ़ का [illegible] मुरब्बा न 24 का किला नं. 9 की 0.037 हैक्टर कृषि भूमि [illegible] अंकन जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 में सहबन से त्रुटिवश [illegible] कारण उक्त वर्णित पत्थर नं. 141/29 किला न 9 तमाम 0.253 हैक्टर [illegible] मे प्रार्थी के नाम से द[illegible] जबकि किला नं. 9 की 0.216 हैक्टर प्रार्थी के नाम से तथा [illegible] कृषि भूमि 0.037 हैक्टर स[illegible] देवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति अग्रवाल के नाम से दर्ज होनी चाहिए। उक्त त्रुटि का इल्म होने पर उक्त त्रुटि को जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने हेतु प्रार्थी ने श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ के समक्ष कई बार आग्रह किया तो वे निरन्तर इसे दुरूस्त करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.11 16:11:06 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

आश्वासन देते रहे लेकिन आज से अर्सा करीब 7 रोज पूर्व उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया और प्रार्थी को कहा कि श्रीमान् न्यायालय से आदेश लेकर आओ तभी राजस्व रिकार्ड में हुई उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है। इसलिए यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश है। अतः वाके चक 3 एम डी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं. 141/29, मुरब्बा नं. 24 के राजस्व रिकार्ड/जमाबन्दी में हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर किला नं. 9 की 0.216 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम से एवं शेष 0.037 हैक्टर कृषि भूमि संतोष देवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ के नाम से दर्ज करने के आदेश श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ को दिये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज. उपस्थित आए। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय फर्द मौका के रिपोर्ट पेश की। वाके चक 3 एमडी के प.नं. 141/29 का किला नं. 9 का 0.253 हैक्टर रकबा कृष्णकुमार पुत्र सीताराम जाति बिश्नोई साकिन 3 एमडी के नाम खातदारी दर्ज है। उक्त किला नं. 9 का 0.037 हैक्टर रकबा का विनिमय पूर्व में जरिए इन्तकाल सं. 172 द्वारा स्वीकृत होकर सन्तोषदेवी पत्नि सुभाषचन्द्र के नाम हो चुका था व तत्कालीन जमाबन्दी में नोट भी अंकन कर दिया गया परन्तु किला नं. 9/.037 पर तिरछी लाईन लगी होने के कारण त्रुटिवश जिस खाते में जाना था, नही जोड़ा जा सका। इन्तकाल नं. 172 के अनुसार प.नं. 141/29 का किला नं. 9 का 0.253 हैक्टर रकबा प्रार्थी के पिता सीताराम के नाम था व किला नं. 11/.253, 20/.253 व 21/.215 का रकबा सन्तोषदेवी के नाम था जो विनिमय होकर किला नं. 9 का 0.037 हैक्टर सन्तोषदेवी पत्नि सुभाषचन्द्र के नाम होना था तथा किला नं. 11/.012, 20/.012 व 21/.013 कुल 0.037 हैक्टर रकबा सीताराम के नाम होना था। जिसमें से सीताराम के नाम तो सही प्रविष्टिया हो गई परन्तु सन्तोष देवी के नाम किला नं. 9 का 0.037 हैक्टर की प्रविष्टि नहीं होने से रकबा सीताराम के नाम रह गया तथा सीताराम के फौत होने के बाद यह रकबा कृष्णकुमार के नाम आ गया। कृष्णकुमार अपने पिता द्वारा दिया गया विनिमय का रकबा पत्थर नं.–141/29 का किला नं. 9 का 0.037 हैक्टर रकबा संतोषदेवी के नाम जरिए दुरूस्ती के दिये जाने की अनुशंषा की गई। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती का दर्ज करवाने संबंधी स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 3 एमडी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–141/29 मुरब्बा नं.–24 के राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी में त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर किला नं.–9 की 0.216 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम से एवं शेष 0.037 हैक्टर कृषि भूमि संतोष देवी पत्नी सुभाषचन्द्र के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। अप्रार्थी सं.–01 [illegible] अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 12/0[illegible]/2021 को [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.11 16:11:06 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़